की मॉनिटरिंग इसी के माध्यम से की जाएगी। हर गतिविधियों पर विभागीय अधिकारी कैमरा के माध्यम से नजर रख सकेंगे।

नाम नहीं हटा तो पीड़िता रुपये मांगने गई तो आरोपितों ने देने से इंकार कर दिया। थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।

MAGADH

NEW SWADESHI SUGAR MILLS

P.O.- Narkatiaganj, 845455 Distt.- West Champaran (Bihar)

Ph. : 06253-242227 E-mail : narkatiaganj@birla-sugar.com

18.09.2020

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन विभाग (State Level Environment Impact Assessment Authority) ने अपने पत्रांक SIA/5(g) (i)/981/2020 दिनांक 17.09.2020 आलोक में मेसर्स मगध सुगर एण्ड इनर्जी यूनिट न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को, आसवनी इकाई की क्षमता 60 से 80 हजार लीटर, चीनी मिल की पेराई क्षमता 7500 से 9000 टी.सी.डी. तथा को-जेनरेशन पावर प्लांट क्षमता 5.10 मेगावाट से 10.25 मेगावाट के विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी सूचना कम्पनी के वेबसाइट magadhsugarnssm.com पर उपलब्ध है। कार्यपालक अध्यक्ष

दैनिक जागरण 24-9-2020

- पेश है -

नरकटियागंज (नि.सं.)। स्वदेशी सुगर मिल डिस्टलरी इकाई का 30 किलोमीटर से 100 किलोलीटर उत्पादन क्षमता का विस्तारीकरण के लिये बुधवार को यहां लोक सुनवाई का आयोजन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा गोपाला ब्रम्हस्थान धर्मशाला में किया गया। लोक सुनवाई ने विचार गोष्ठी का रूप ले लिया जिसमें कई तरह के विचार आये। परंतु सर्वसम्मति से प्रबुद्ध नागरिकों एवं किसानों ने क्षमता विस्तार पर अपनी सहमति व्यक्त की। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद पटना के अध्यक्ष परशुराम राम ने लोक सुनवाई की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि यहां की सुगर फैक्ट्री लगभग 75 वर्ष पुरानी है तथा डिस्टलरी लगभग 45 वर्ष पुरानी है। फैक्ट्री द्वारा किसी तरह का बहिस्राव नहीं करना है। डिस्टलरी का क्षमता विस्तार होने से यहां कई प्रकार के लाभ होंगे। इस पर किसी तरह की आपत्ति या सुझाव हो तो कोई भी व्यक्ति रख सक ते है। पर्यावरण सलाहकार डा. मनोज गर्ग ने वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि बायोगेस बनाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाता है। जल प्रदूषण रोकने के लिए पहली बार

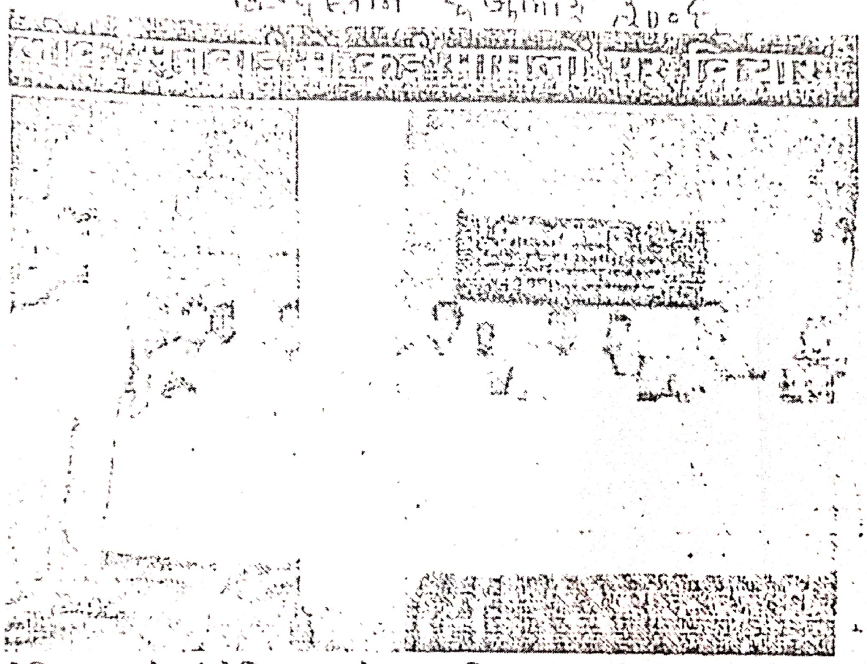

सेमिनार को संबोधित करते नरकटियागंज चीनी मिल के कार्यकारी अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा

यहां जापानी तकनीक पर आधारित ट्रिटमेंट विधि इस्तेमाल की जा रही है जिससे 50 फीसदी जल प्रदूषण दूर हो जायेगा। शेष 50 फीसदी का इस्तेमाल हम खाद बनाने में करेंगे। फैक्ट्री से बाहर किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। मृदा प्रदूषण रोकने के लिये 20 एकड़ भूमि में रिसाव रहित प्लांट लगाया जा रहा है। लोक संघर्ष समिति के पंकज ने स्पस्ट किया कि हम उद्योग विरोधी नहीं है फैक्ट्री का क्षमता बिस्तार हो परंतु नदियों की सुरक्षा भी हो। पर्षद के सदस्य सचिव एसएन राव ने कहा कि 2005 के बाद नया सुगर फैक्ट्री या डिस्टेलरी जीरों डिस्चार्ज पर ही खुलेगा। ऐसा नहीं होने पर बंद कर दिया जायेगा। सहायक पर्यावरण अभियंता सुरेश कुमार राव ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि यह नेचुरल साइकल है इससे जल स्तर पर कोई खतरा नहीं है। डा. एनके मिश्र ने चुड़ा मिलों से हो रहे भारी प्रदूषण को रोकने की मांग की तथा कहा कि यहां उद्योग की क्षमता का विस्तार होना चाहिए। चीनी मिल के कार्यकारी अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हम बिना ट्रिटमेंट किये डिस्चार्ज नहीं छोड़ते। ब्वायलर चलाने के लिये मिथेन गैस रिकवरी करने के लिये हमें ट्रिटमेंट करना ही पड़ता है। 22 एकड़ जमीन में अत्याधुनिक प्लांट ट्रिटमेंट के लिये लगाया जा रहा है। बायोकम्पोस्ट खेत के लिये यूजफुल है जिसकी बाहर से मांग हो रही है। परंतु हमने उसे अपने किसानों के लिये सुरक्षित करने का फैसला लिया है। लोक सुनवाई में भाग लेकर उत्पादन क्षमता विस्तार पर सहमति व्यक्त करने के लिये उन्होंने गणमान्य नागरिकों एवं किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार सिद्धार्थ, सीओ अजय कुमार सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुरेश पाण्डेय, वार्ड आयुक्त छोटेलाल जायसवाल, मुरली मनोहर सिंह आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

Scanned with OKEN Scanner